**काश्मीर संघर्ष समिति**

1824. श्री बृहमानन्दजी: क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि काश्मीर संघर्ष समिति ने काश्मीर में हिन्दुओं की रक्षा करने के उ श्य से केन्द्रीय सरकार द्वारा हस्तक्षेप किये जाने की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) यह मामला जम्मू काश्मीर शासन के ध्यान में लाया गया था । इस सम्बन्ध में सदन में 15 नवम्बर, 1967 को अतारांकित प्रश्न संख्या 480 के उत्तर में दिये गये प्रश्न के अन्तिम भाग की ओर भी ध्यान दिलाया जाता है । जैसा कि सदन को ज्ञात है केन्द्रीय सरकार ने श्री जस्टिस रघुबर दयाल की प्रधानता में एक आयोग की नियुक्ति की है जो विशेष साम्प्रदायिक झगड़ों की जांच कर इनको रोकने के उपाय सुझाने की सिफारिश करेगा । राज्य सरकार ने इन्हीं की प्रधानता में तथा इन्हीं विचारार्थ विषयों पर, राज्य में विशिष्टि स्थानों पर उल्लिखित दिनों में हुए साम्प्रदायिक झगडों की जांच के लिए एक आयोग की नियुक्ति की है । केन्द्रीय सरकार के परामर्श से राज्य सरकार ने श्री पी० बी० गजेन्द्र गडकर की अध्यक्षता में एक ऐसे आयोग की भी नियुक्ति की है जिसके विचारार्थ विषयों में यह भी सम्मिलित है कि वह ऐसे कारणों को दूर करने के उपायों की सिफारिश करें जिनसे आपस में खीज और तनाव उत्पन्न होता है ।

**चपरासी भरती होने के लिये आयु सीमा**

1825. श्री एस० एम० जोशी : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी विभागों में चपरासी की नौकरी पाने के लिये 25 वर्ष की आयु-सीमा निर्धारित कर दी गई है;

(ख) क्या यह भी सच है कि जो लोग 21 वर्ष की आयु के बाद सरकारी विभागों में चपरासी बने थे उन्हें अब विभागीय परीक्षा पास करने के बाद भी पदोन्नत नहीं किया जाता है;

(ग) क्या विभागीय परीक्षा पास करने के बाद जो चपरासी क्लर्क बन गये थे उन्हें अब फिर चपरासी बना दिया गया है क्योंकि चपरासी के पद पर आने के समय उनकी आयु 21 वर्ष की थी; और

(घ) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में बने नियमों में संशोधन करने का सरकार का विचार है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) और (ग). मैट्रिक्युलेशन अथवा उससे उच्च शिक्षा प्राप्त चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी निम्न श्रेणी लिपिकों के पद पर उन कार्यालयों में, जहां यह पद रोजगार दिलाने वाले कार्यालय के माध्यम से भरा जाता है नियुक्ति के लिये योग्य समझे जाते हैं । इसके लिये उन्हें चतुर्थ श्रेणी में की गई सेवा की हद तक की आयु-छूट दी गई है । 13; 12–1959 से तृतीय श्रेणी लिपिक सेवाओं के लिये ऊपरी वय सीमा का 25 से 21 वर्ष घटा दिये जाने के कारण उन लोगों कोअ जो चतुर्थ श्रेणी सेवा में 3–12–1959 से पहले भर्ती हुए थे तथा जिन्होंने चतुर्थ श्रणी में भर्ती होने के पहले ही 21 वर्ष की आयु पूरी कर ली थी, निम्न श्रणी लिपिक के पद पर नियुक्त करने के लिये और अधिक आयु-छूट दी गई है अर्थात् निम्न लिखित प्रकार के चतुर्थ श्रेणी-कर्मचारी रोजगार कार्यालय द्वारा नामांकित होने पर अथवा रोजगार कार्यालय द्वारा मनोनीत व्यक्तियों के साथ निम्न-श्रेणी लिपिक के पद पर नियुक्ति के लिये पद उस पद के लिये निर्धारित 21